IV ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के अंतर्गत की गई परिकल्पना के अनुरूप देशभर में वित्तीय समावेशन की कार्यसूची को आगे बढ़ाना जारी रखा। वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए गए ताकि मार्च 2024 तक संपूर्ण देश को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए कक्षा VIII से X तक के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया।

IV. 1 वर्ष 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), और अन्य चिह्नित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण वितरण में सुधार के प्रयास जारी रखे। समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ़आई-इंडेक्स), जो देशभर में वित्तीय समावेशन का एक व्यापक संकेतक है, मार्च 2023 में सभी उप-सूचकांकों में विस्तार के साथ वर्ष-दर-वर्ष 6.6 प्रतिशत बढ़कर 60.1 हो गया है। जून 2023 में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड – *अंतर्दृष्टि* – प्रारंभ किया गया, जिससे वित्तीय समावेशन के तीन आयामों, अर्थात पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के अंतर्गत व्यापक मानदंडों को समाहित करते हुए वित्तीय समावेशन के आकलन एवं प्रगति की निगरानी के लिए नीति को और प्रभावी बनाया जा सके। वित्तीय साक्षरता को और गति प्रदान करने के लिए सीएफएल परियोजना में मार्च 2024 के अंत तक सीएफ़एल की संख्या बढ़ा कर 2,421 कर दी गई जिनमें 7,225 ब्लॉक शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने देशभर के सरकारी और नगरपालिका स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय प्रश्नोतरी प्रतियोगिता का आयोजन किया।

IV. 2 इसी पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को तीन खंडों में विभाजित किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति सहित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह के स्तर और वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के संबंध में हुई प्रगति को खंड 2 में शामिल किया गया है। वर्ष 2024-25 की कार्यसूची को खंड 3 में तथा खंड 4 में निष्कर्ष को शामिल किया गया है।

2. वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

IV. 3 विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- सभी बकाया ब्लॉकों में सीएफएल स्थापित करना ताकि संपूर्ण देश को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IV.4] ; और
- वित्तीय समावेशन के लिए जी20 वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई) के डिलिवरेबल्स की प्राप्ति के लिए कार्य करना [पैराग्राफ IV.5]

कार्यान्वयन की स्थिति

IV. 4 प्रायोगिक सीएफएल परियोजना को ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता के लिए नवोन्मेषी और सहभागी दृष्टिकोण का पता लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था जिसमें इसके कार्यान्वयन के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर विस्तार किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के भाग के तौर पर यह परिकल्पना की गई थी कि 31 मार्च 2024 तक संपूर्ण देश को इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए सीएफ़एल का विस्तार किया जायेगा। इस लक्ष्य के समनुरूप सीएफ़एल परियोजना को देशभर में तीन चरणों में लागू किया गया। सबसे पहले 80 सीएफएल के साथ इतने ही ब्लॉकों में इसका शुभारंभ किया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 2,421 किया गया और 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार यह 7,225 ब्लॉकों में कार्य कर रहा है। इस परियोजना को जमाकर्ता शिक्षण जागरूकता निधि (डीईएएफ), राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (नाबार्ड) की वित्तीय समावेशन निधि

(एफआईएफ) और प्रायोजक बैंकों से निधि प्राप्त होती है। इन सीएफएल द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों का लक्ष्य जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना और कुछ परिणामों, जैसे कि खाता खोलना/पुनः चालू करना, पेन्शन और बीमा से जोड़ना और शिकायत निपटान प्रणाली के बारे में जागरूकता प्रदान करना है।

IV. 5 भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, जीपीएफआई कार्य समूह (डब्लयूजी) ने अध्यक्षीय प्राथमिकताओं के भाग के रूप में, "डिजिटल पब्लिक अवसंरचना (डीपीआई) के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभों को बढ़ाने के लिए जी20 नीति सिफारिशों" पर एक रिपोर्ट भी जारी की। रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान रिपोर्ट और जीपीएफआई के अन्य कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रमुख गतिविधियां

ऋण वितरण

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV. 6 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) के लिए उधार समायोजित निवल बैंक ऋण(एएनबीसी) का 45.1 प्रतिशत[1] रहा। सभी बैंक समूहों ने वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारित 40 प्रतिशत के समग्र पीएसएल लक्ष्य को प्राप्त किया [सारणी IV.1]

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

(राशि लाख करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	एससीबी
1	2	3	4	5
2022-23	28.4 (43.7)	19.5 (45.3)	2.3 (42.8)	50.2 (44.2)
2023-24*	32.2 (43.4)	24.7 (48.1)	2.3 (41.5)	59.1 (45.1)

*: आंकड़े अनंतिम है।
नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्र जोखिम से इतर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) जो भी अधिक हो, उसके प्रतिशत को दर्शाते हैं।
स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह

IV. 7 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों को कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी के साथ-साथ निवेश के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करता है (सारणी IV.2)। सक्रिय केसीसी कार्ड की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2024 के अंत तक 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बकाया राशि में 10.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

सारणी VI.2: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(आंकड़े लाख में, राशि करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	सक्रिय केसीसी की संख्या#	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण	पशुपालन एवं मछली पालन के लिए बकाया ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6
2022-23	282.96	4,61,391	37,551	19,694	5,18,636
2023-24*	298.14	4,93,362	46,332	35,279	5,74,973

*: आंकड़े अनंतिम हैं।
#: सक्रिय केसीसी खातों की संख्या में अनर्जक (एनपीए) खाते शामिल नहीं हैं।
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक (आरआरबी को छोड़कर)।

[1] सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों से संबंधित है।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

IV. 8 सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाना रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की नीतिगत प्राथमिकता रही है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एससीबी द्वारा एमएसएमई को दिए गए ऋण के बकाया में वर्ष 2023-24 के दौरान 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (दिसंबर 2023 के अंत तक) [सारणी IV.3]।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए उठाए गए कदम

IV. 9 मौजूदा विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऋणदाताओं को संस्थाओं को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 'उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने की आवश्यकता है। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई), जो अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' पर पंजीकरण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए औपचारीकरण को सुविधाजनक बनाने हेतु एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने 'उद्यम सहायक प्लेटफॉर्म (यूएपी)' शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने अपनी विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि यूएपी पर जारी प्रमाण-पत्र को यूआरसी के समान ही माना जाए और इस प्रकार एमएसएमई के अंतर्गत आईएमई को सूक्ष्म संस्थाओं के रूप में चिह्नित करने को सुविधाजनक बनाया गया है।

एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकरों के क्षमता संवर्धन हेतु राष्ट्रीय मिशन

IV. 10 बैंकरों को एमएसएमई क्षेत्र को ऋण संबंधी समस्त पहलुओं से परिचित करवाने और उनमें उद्यमशीलता के प्रति संवेदना विकसित करने के लिए वर्ष 2015 से एक विशेष क्षमता संवर्धन कार्यक्रम 'एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकरों के क्षमता संवर्धन हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएएमसीएबीएस)' लागू किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में उभरते महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए इस क्षेत्र की नई गतिविधियों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम की अवसंरचना में परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संचालित नैम्केब्स कार्यक्रमों में कुल 3,950 बैंक अधिकारियों ने सहभागिता की।

वित्तीय समावेशन

अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपना

IV. 11 रिज़र्व बैंक प्रत्येक जिले में एक निर्दिष्ट बैंक को अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपता है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 12 बैंकों और निजी क्षेत्र के दो बैंकों (जम्मू और कश्मीर बैंक और आईसीआईसीआई बैंक) को देशभर के 779 जिलों में अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

सारणी IV.3: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में, राशि करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021-22	239.6	8.8	21.9	7.2	3.2	4.1	264.7	20.1
2022-23	194.4	10.5	15.7	7.5	3.2	4.6	213.3	22.6
2022-23 (दिसंबर 2022 के अंत तक)	193.6	9.8	16.8	7.3	3.2	4.4	213.6	21.5
2023-24* (दिसंबर 2023 के अंत तक)	242.6	12.6	15.6	8.3	3.5	5.0	261.7	26.0

*: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विवरणियां।

प्रत्येक गांव में वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुँच

IV. 12 प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में / पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवारों के आवास वाले प्रत्येक गांव तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना एनएसएफ़आई: 2019-24 का एक प्रमुख लक्ष्य है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 27 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में इस लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है और देशभर के चिह्नत गांवों / छोटे गांवों के 99.99 प्रतिशत को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष गांवों / छोटे गांवों के संबंध में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डिजिटल भुगतान पारितंत्र का विस्तार और पैठ बढ़ाना

IV. 13 देश के डिजिटल भुगतान पारितंत्र का विस्तार करने और उसकी पैठ बढ़ाने के लिए सभी राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी)/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों (यूटीएलबीसी) को अपने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिले/जिलों की पहचान करने और उसे ऐसे बैंक को आबंटित करने के लिए कहा गया है जिसकी जिले में प्रभावी मौजूदगी हो। यह बैंक जिले के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, त्वरित, किफ़ायती और सुविधाजनक तरीके से भुगतान करने/प्राप्त करने की सुविधा के लिए जिले को डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाने के लिए प्रयास करेगा। इस उद्देश्य के लिए 31 मार्च 2024 तक देशभर के सभी जिलों (अंडमान निकोबार केंद्रशासित प्रदेश के दो जिलों को छोड़कर) को चिह्नित किया गया है; रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार 179 जिले 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम थे।

वित्तीय समावेशन योजना

IV. 14 वित्तीय समावेशन योजना (एफ़आईपी) के अंतर्गत वित्तीय समावेशन क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिसंबर 2023 के अंत तक की गई प्रगति को सारणी IV.4 में दर्शाया गया है। दिसंबर 2023 के दौरान आधारभूत बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) के अंतर्गत कुल राशि में 13.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की बढ़ोत्तरी हुई है।

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010	दिसंबर 2022	दिसंबर 2023$
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट-शाखाएं	33,378	53,159	53,893
गांवों में बैंकिंग आउटलेट >2000* बीसी	8,390	13,83,569	13,15,004
गांवों में बैंकिंग आउटलेट <2000* बीसी	25,784	2,95,657	2,77,594
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट-बीसी	34,174	16,79,226	15,92,598
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट-अन्य माध्यम	142	2,273	2,289
गांवों में बैंकिंग आउटलेट -कुल	**67,694**	**17,34,658**	**16,48,780**
बीसी के माध्यम से समावेशित शहरी क्षेत्र	447	4,38,333	3,58,167
बीएसबीडीए-शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,704	2,780
बीएसबीडीए-शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	1,23,653	1,35,628
बीएसबीडीए-बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	4,082	4,274
बीएसबीडीए-बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	1,16,777	1,36,558
बीएसबीडीए- कुल (संख्या लाख में)	**735**	**6,786**	**7,053**
बीएसबीडीए- कुल (राशि करोड़ में)	**5,500**	**2,40,430**	**2,72,186**
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	89	53
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	546	579
केसीसी- कुल (संख्या लाख में)	240	499	507
केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	7,66,694	8,11,906
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	67	55
जीसीसी- कुल (राशि करोड़ में)	3,500	1,85,915	53,690
आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	25,434	27,294
आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में))#	700	8,15,598	9,86,236

बीसी: कारोबार प्रतिनिधि

बीएसबीडीए: बेसिक बचत बैंक जमा खाता

ओडी – ओवरड्राफ्ट केसीसी- किसान क्रेडिट कार्ड

जीसीसी- जनरल क्रेडिट कार्ड

बीसी-आईसीटी- कारोबार प्रतिनिधि-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

$: आंकड़े अनंतिम है। *: ग्रामीण जनसंख्या

#: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफ़आईपी विवरणियां।

चार्ट IV.1 – एफ़आई-सूचकांक और उप-सूचकांक (मार्च के अंत तक)

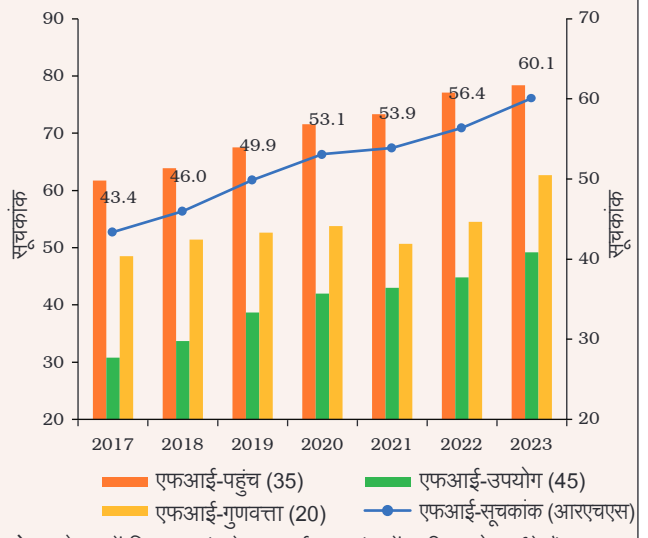

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एफआई-सूचकांक में भारिता को दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ़आई-सूचकांक)

IV. 15 वित्तीय समावेशन के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन का आकलन और मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। इस दिशा में एक सम्मिश्र एफ़आई-सूचकांक तैयार किया गया है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2021[2] में प्रकाशित किया गया था। इस एफ़आई-सूचकांक में संकेतकों की संख्या के आधार के बदले तीन व्यापक उप-सूचकांक (कोष्ठक में भार दिए गए हैं) अर्थात पहुंच (35 प्रतिशत), उपयोग (45 प्रतिशत) और गुणवत्ता (20 प्रतिशत) में प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं। एफ़आई-सूचकांक मार्च 2022 के 56.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 60.1 प्रतिशत हो गया। साथ ही सभी उप-सूचकांकों में भी वृद्धि देखी गई (चार्ट IV.1)।

वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड – 'अंतर्दृष्टि'

IV. 16 वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और इसकी निगरानी एवं वित्तीय बहिष्करण की सीमा का आकलन करने के लिए जून 2023 में एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड–अंतर्दृष्टि-प्रारंभ किया गया (बॉक्स IV.1)।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) 2019-24

IV. 17 एनएसएफआई का उद्देश्य सभी हितधारकों के समन्वय से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन के प्रयासों को व्यापक और सुस्थिर बनाना है। एनएसएफआई कार्य योजना बनाता है और लक्ष्य निर्धारित करता है तथा कार्यनीति की अवधि के भीतर पूरा करने के लिए व्यापक सिफारिशें करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान लागू की जाने वाली पांच सिफारिशें फिनटेक क्षेत्र में हुए विकास का लाभ उठाने, कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए विकसित होती डिजिटल और सहमति-आधारित संरचना की तरफ बढ़ने, प्रक्रिया साक्षरता को बढ़ावा देने, सीएफएल की पहुंच का विस्तार करने और हितधारकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने/निगरानी पर केंद्रित थीं।

बॉक्स IV.1

वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड–अंतर्दृष्टि

वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड-अंतर्दृष्टि-का उद्देश्य क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरीय जानकारी के लिए ड्रिल-डाउन सुविधा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रगति की निगरानी करना है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से प्राप्त किए गए कुछ मापदंडों में ऋण–जमा (सीडी) अनुपात, किसानों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की ऋण सहबद्धता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण संवितरण और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में प्रगति शामिल है। इस डैशबोर्ड में रंगों से कूटबद्ध किए गए हीट मैप, क्विक टिकर और ट्रेंड चार्ट की सुविधाएं हैं जो क्षेत्रीय असमानताओं और बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में असमानताओं सहित विभिन्न आयामों में ऋण प्रवाह का आकलन करती हैं ताकि वित्तीय बहिष्करण के कारकों का पता लगाया जा सके। इस रूप में यह डैशबोर्ड अगली पंक्ति के कर्मियों को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के अलावा एक प्रभावी प्रबंधन सूचना टूल के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: आरबीआई।

[2] 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की' विषय पर रिज़र्व बैंक की दिनांक 17 अगस्त 2021 की प्रेस प्रकाशनी।

IV. 18 वर्ष 2023-24 के दौरान रुपे क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से जोड़ना और यूपीआई लाइट की शुरुआत जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अलावा भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ), डिजिटल भुगतान पारितंत्र (ईडीडीपीई) का विस्तार और पैठ बढ़ाना और साथ ही भारत सरकार की भारतनेट परियोजना (BharatNet) जैसी पहल डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़ई):2020-25 के तहत प्रमुख लक्ष्यों का कार्यान्वयन

IV. 19 एनएसएफई ने सामग्री (कंटेंट) विकसित करने, मध्यस्थ संस्थाओं की क्षमता (कैपेसिटी) विकसित करने, सामुदायिक (कम्युनिटी) सहभागिता वाले मॉडल का लाभ उठाने, उपयुक्त संचार (कम्यूनिकेशन) कार्यनीति अपनाने और सहयोग (कोलेब्रेशन) बढ़ाने पर जोर देकर वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5सी' दृष्टिकोण निर्धारित किया है। इन उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)[3] विभिन्न वित्तीय साक्षरता पहलें जैसे कि वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम (एफईपीए), स्कूली शिक्षकों के लिए वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफईटीपी), छात्रों के लिए मनी स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम (एमएसएसपी)[4] और युवा स्नातकों और स्नातकोत्तर के लिए वित्तीय जागरूकता और उपभोक्ता प्रशिक्षण (एफएसीटी) आयोजित करता है। इसके अलावा, एनएसएफई के तहत वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद-उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) के तत्वावधान में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) द्वारा भी विभिन्न प्रमुख लक्ष्यों की निगरानी की जा रही है। इस वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह की 22वीं बैठक 14 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन

IV. 20 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडबल्यू) रिज़र्व बैंक की एक पहल है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष एक केंद्रित अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर आम जनता/ विभिन्न तबकों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाती है। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडबल्यू) 2024 विद्यार्थियों और युवा वयस्कों पर लक्षित था, इसे 'करो सही शुरुआत: बनो फाइनेंशियली स्मार्ट' थीम के साथ दिनांक 26 फरवरी से 01 मार्च 2024 तक मनाया गया। इस जागरूकता अभियान के उप-विषय थे - 'बचत और कंपाउंडिंग की शक्ति', 'छात्रों के लिए बैंकिंग अनिवार्यताएं' और 'डिजिटल और साइबर हाइजिन।

वित्तीय साक्षरता पर विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी

IV. 21 वित्तीय साक्षरता की दिशा में की गई पहल के एक भाग के रूप में और जमीनी स्तर पर सहभागिता के रूप से वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने देशभर में सरकारी और नगरपालिका स्कूलों की कक्षा VIII से X के छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। इस बहु-स्तरीय प्रश्नोत्तरी की शुरूआत अप्रैल 2023 से ब्लॉक स्तर पर की गई। प्रश्नोत्तरी में देशभर के 51,694 स्कूलों के 1,03,388 छात्रों ने भाग लिया। प्रश्नोत्तरी की राष्ट्रीय स्तर की अंतिम प्रतियोगिता 14 सितंबर 2023 को मुंबई में आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता/जागरूकता के प्रति छात्रों में अत्यधिक उत्साह देखा गया।

[3] राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) कंपनी है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के सहयोग से स्थापित किया गया है । इसका उद्देश्य भारत भर में लोगों के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षण को बढ़ावा देना है।

[4] वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु स्कूलों में शिक्षा और जागरूकता जैसे दो स्तंभों के आधार पर वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीएफई की एक पहल।

3. वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

IV. 22 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- 2025-30 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) के अगले संस्करण का निरूपण (*उत्कर्ष* 2.0) ;
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) ;
- डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम (ईडीडीपीई) के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत मार्च 2025 तक देश भर के 50 प्रतिशत जिलों तक 100 प्रतिशत पहुँच (चिह्नित जिले में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का कम से कम एक माध्यम, जैसे कि डेबिट/रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी), आधार समर्थित भुगतान (एईपीएस) आदि उपलब्ध कराना) ;
- वित्तीय समावेशन को और अधिक विस्तारित करने के लिए अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की प्रभावशीलता को बढ़ाना ;
- एमएसएमई को मजबूत बनाने हेतु ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए विनियामकीय ढांचे को सुदृढ़ करना।

4. निष्कर्ष

IV. 23 रिज़र्व बैंक ने देश भर में समाज के सभी तबकों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। रिज़र्व बैंक ने देश में वित्तीय समावेशन को और भी मजबूत करने के अपने प्रयासों के अनुसरण में वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड-'अंतर्दृष्टि' शुरू किया। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक अन्य कार्यों के अलावा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगा और 2025-30 की अवधि के लिए एनएसएफआई के अगले संस्करण की दिशा में काम करेगा।